रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1617] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937
No. 1617] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SRAVANA 9, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2015

का.आ. 2097(अ).–द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) का खंड 15, केन्द्रीय सरकार को, किसी कठिनाई को दूर करने के लिए या लोक हित को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के सभी या किसी उपबंध से साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट देने के लिए सशक्त करता है;

अतः, अब, उक्त आदेश के खंड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उक्त आदेश के खंड 11 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है और उसे दस हजार मीट्रिक टन प्रतिमास तक अपनी घरेलू तौर पर उत्पादित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को अपनी स्वयं की समानांतर विपणन प्रणाली की आवश्यकता के लिए उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

(क) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समान मात्रा में आयात करना होगा और उसका पब्लिक सेक्टर तेल विपणन कंपनियों को उस कीमत पर परिदान करना होगा जो इस संव्यवहार को तेल विपणन कंपनियों के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा घरेलू उत्पादन से उसी मात्रा में उपापन के मुकाबले लागत-निरपेक्ष या अधिक सस्ता बनाती हो ;

(ख) यह ठहराव कांडला बंदरगाह पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयात सुविधा के पुनः आरंभ होने तक या 31 मार्च, 2016 तक या अगला आदेश होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य होगा ।